¹[Rule 61A: Manner of opting for furnishing quarterly return

(1) Every registered person intending to furnish return on a quarterly basis under proviso to sub-section (1) of section 39, shall in accordance with the conditions and restrictions notified in this regard, indicate his preference for furnishing of return on a quarterly basis, electronically, on the common portal, from the 1st day of the second month of the preceding quarter till the last day of the first month of the quarter for which the option is being exercised:

Provided that where such option has been exercised once, the said registered person shall continue to furnish the return on a quarterly basis for future tax periods, unless the said registered person,—

- (a) becomes ineligible for furnishing the return on a quarterly basis as per the conditions and restrictions notified in this regard; or
- **(b)** opts for furnishing of return on a monthly basis, electronically, on the common portal:

Provided further that a registered person shall not be eligible to opt for furnishing quarterly return in case the last return due on the date of exercising such option has not been furnished.

(2) A registered person, whose aggregate turnover exceeds 5 crore rupees during the current financial year, shall opt for furnishing of return on a monthly basis, electronically, on the common portal, from the first month of the quarter, succeeding the quarter during which his aggregate turnover exceeds 5 crore rupees.]

¹ Rule 61A inserted by Noti. No. 82/2020–Central Tax, dt. 10-11-2020 w.e.f. 10-11-2020.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

1[नियम 61क : तिमाही विवरणी प्रस्तुत करने के लिए चयन की रीति

(1) धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन तिमाही आधार पर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए आशयित प्रत्येक रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति इस संबंध में अधिसूचित शर्तों और निर्बंधनों के अनुसार तिमाही आधार पर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए पूर्ववर्ती तिमाही के दूसरे मास के पहले दिन से उस तिमाही के जिसके लिए चयन किया जाना है, उस तिमाही के पहले मास के अंतिम दिन तक इलैक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल पर उसकी प्राथमिकता उपदर्शित करेगा:

परन्तु जहां एक बार ऐसे विकल्प का प्रयोग कर लिया गया है तो उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति भविष्य कर अवधियों के लिए तिमाही आधार पर विवरणी प्रस्तुत करना जारी रखेगा, जब तक कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति,—

- (क) इस संबंध में अधिसूचित शर्तों और निर्बंधनों के अनुसार तिमाही आधार पर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपात्र नहीं हो जाता है; या
- (ख) इलैक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल पर मासिक आधार पर विवरणी प्रस्तुत करने का चयन करता है:

परन्तु यह और कि रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति तिमाही विवरणी प्रस्तुत करने का चयन करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि ऐसे विकल्प का प्रयोग करने की तारीख पर बकाया अंतिम विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है।

(2) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सकल आवर्त पांच करोड़ रूपए से अधिक है, उस तिमाही जिसके दौरान उसका सकम आवर्त 5 करोड़ रूपए से अधिक होता है, वह उत्तरवर्ती तिमाही के पहले मास से इलैक्ट्रानिक रूप में सामान्य पोर्टल पर मासिक आधार पर विवरणी प्रस्तुत करने का चयन करेगा।

¹ अधिसूचना क्रमांक 82/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 10.11.2020 द्वारा नियम 61क अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 10.11.2020)।